

विषय-सूची

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1 : परिचय		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	1
खनिज राजस्व की प्रवृत्तियाँ	1.3	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	4
“खनन प्राप्तियाँ, रॉयल्टी, शुल्क और किराए का आरोपण और संग्रहण” पर पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति	1.6	5
कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति	1.7	5
अध्याय-2 : खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ		
अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन	2.1	10
खनन योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाना	2.2	12
गलत भू-निर्देशांकों की स्वीकृति	2.2.1	13
निषिद्ध क्षेत्र में बालू का खनन	2.2.2	17
पुलों के पास बालू का खनन	2.2.2.1	17
नदी के मध्य में बालू खनन के लिए क्षेत्र का आवंटन	2.2.2.2	19
पट्टे की विस्तार अवधि में बन्दोबस्त बालू घाटों की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न करना	2.3	21
लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद खनिजों की नीलामी/बन्दोबस्त न करना	2.4	22
अध्याय-3 : खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण		
बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा 2015-19 अवधि के दौरान बालू पट्टे का समर्पण के कारण सरकारी राजस्व की हानि	3.1	23
पट्टा की विस्तारित अवधि के लिए बन्दोबस्त राशि की गलत गणना के कारण रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों की वास्तविक राशि की नहीं/कम वसूली	3.2	25
बालू घाटों की बन्दोबस्ती के विलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3.3	26
बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बन्दोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होना	3.4	26
बन्दोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना	3.5	27
बालू घाट के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा कराये गये बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	3.6	28
पत्थर खदानों के पट्टे का बन्दोबस्त/निष्पादन न होना	3.7	29
नवादा में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त	3.7.1	29
कैमूर में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त न होना	3.7.2	31

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
शेखपुरा में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त न होना	3.7.3	32
पत्थर खदानों के पट्टेदारों से रॉयल्टी की वसूली न होना	3.8	33
जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.1	33
जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.2	34
जिला खनन कार्यालय, बांका द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.3	34
जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बन्दोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	3.8.4	35
अंतिम खान बंद करने की योजना प्रस्तुत न करना	3.9	35
खनन योजना के विरुद्ध चूना-पत्थर का कम निष्कर्षण	3.10	36
रद्दी/अधिभारित सामग्री की नीलामी न होना	3.11	38
चूना-पत्थर क्षेत्र में वृक्षारोपण	3.12	39
ईट भट्टों का संचालन	3.13	39
बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईट मिट्टी का अवैध निष्कासन	3.13.1	40
ईट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली किया जाना	3.13.2	40
ईट भट्टा मालिकों से व्यावसायिक कर की वसूली न होना	3.13.3	41
अध्याय-4 : अवैध खनन		
वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना	4.1	43
नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	53
गूगल अर्थ प्रो छवि के विश्लेषण के माध्यम से अन्य निष्कर्ष	4.3	57
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गयी खनन गतिविधियाँ	4.3.1	57
उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गई जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था	4.3.2	60
बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी	4.3.3	61
खनिजों के निष्कर्षण की निगरानी की प्रक्रिया	4.4	64
अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	4.5	66
अनियमित ई-चालान बनाना	4.6	68
बालू	4.6.1	69
पत्थर	4.6.2	70
कार्य प्रमण्डलों में नकली ई-चालान उपयोग किये गये	4.7	70
प्रपत्र एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि	4.8	72
अध्याय-5 : खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि		
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना	5.1	76

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
कोविड-19 महामारी के प्रसार के रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना	5.2	76
पृथक समग्र निधि की राशि का जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरण नहीं होना	5.3	77
पंजाब नेशनल बैंक में रखी गयी पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के एसबीआई खाते में हस्तांतरण न होना और आयकर विभाग द्वारा काटी गई राशि की वसूली न होना	5.4	78
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का एकमुश्त भुगतान न करना	5.5	78
बालू/पत्थर पट्टाधारकों और ईट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं/कम वसूली होना	5.6	79
बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना	5.7	79
बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना	5.8	80
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खाते का संधारण न करना	5.9	80
साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना	5.10	81
अध्याय-6 : आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर-विभागीय समन्वय		
अवैध खनन रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं	6.1	84
अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों और जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानि	6.2	85
कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानि	6.3	85
वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक ई-चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना नहीं लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	6.4	86
अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	6.5	87
नीलामवाद के मामलों का लंबित होना	6.6	87
मानवबल प्रबंधन	6.7	88
अपर्याप्त निरीक्षण	6.8	89
ईट भट्टों, बालू घाटों और पत्थर खदानों का सत्यापन/निरीक्षण नहीं होना	6.8.1	90
विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	6.8.2	91
अध्याय-7 : निष्कर्ष एवं अनुशासक		
निष्कर्ष	7.1	93
अनुशासक	7.2	93
परिशिष्ट		97

परिशिष्ट सूची

परिशिष्ट सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1	बालू घाटों की बन्दोबस्ती के विलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3.3	97
2	बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बन्दोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होना	3.4	99
3	बन्दोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना	3.5	100
4	बालू घाट के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा कराये गये बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	3.6	102
5	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बन्दोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	3.8.4	103
6	बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईट मिट्टी का अवैध निष्कासन	3.13.1	104
7	ईट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली किया जाना	3.13.2	105
8	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.1 और 4.2	106
9	वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना	4.1	112
10	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	114
11	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	116
12	उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गईं जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था	4.3.2	117
13	बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी	4.3.3	118
14	अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	4.5	122
15	कार्य प्रमण्डलों में नकली ई-चालान उपयोग किये गये	4.7	123
16	प्रपत्र एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि	4.8	125

परिशिष्ट सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
17	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना	5.1	126
18	कोविड-19 महामारी के प्रसार के रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना	5.2	127
19	बालू/पत्थर पट्टाधारकों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का कम वसूली होना	5.6	128
20	ईंट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं वसूली होना	5.6	129
21	बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना	5.7	131
22	बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना	5.8	132
23	साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना	5.10	133
24	अवैध खनन रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं	6.1	134
25	अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों और जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानि	6.2	135
26	कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानि	6.3	136
27	वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना नहीं लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	6.4	137
28	अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	6.5	138
29	नीलामवाद के मामलों का लंबित होना	6.6	139

